न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–32/2025
वाद प्रस्तुति दिनांक–01.04.2025
निर्णय दिनांक–08.10.2025

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी–568, मालवीय नगर, जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. किशनलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. नन्दलाल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद, तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. उप पंजीयक पीपलू
6. बडौदा राज0 क्षैत्रिय बैंक राणोली, जरिये शाखा प्रबन्धक
7. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा निवाई, जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0
श्री हेमराज गुर्जर एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03, 06, 07–अनुपस्थित

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92–ए व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी विमल मेहता बनाम छोटूलाल वगै0 प्रकरण संख्या 32/2025 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 01–17 बीघा (0.4679 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसके

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 को खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ता 03 के पिता जगदीश पुत्र कालू व मांगी पुत्री कालू व रामा पुत्री कालू से खरीद की है। तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में वादी को आवश्यकता होने पर अपनी जमाबंदी निकलवाने पर जानकारी हुई की उक्त भूमि का नामान्तकरण वादी के नाम नही हुआ है तथा जमाबंदी में पूर्व विक्रेता व उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर बैक का रहन दर्ज है। वादी ने अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर तहसीलदार पीपलू के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उन्होने बताया की विक्रेतागण की मृत्यु हो चुकी है और जब तक भूमि रहन मुक्त नही हो जाती है, तब तक हम उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नही कर सकते। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 से मिलकर उक्त भूमि को रहन मुक्त करवाने एवं रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने बाबत् प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त आराजीयात को वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व वादी के हक में निहित हो चुके थे, किन्तु वादी के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी बैंक के हक में रहन रख दी है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही था। इस कारण बैंक के हक में किया गया रहन का अंकन वादी के हितो के प्रति शून्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विक्रय की गई उक्त भूमि ख0न0 58 पर जो ऋण लिया गया है। उसकी पूर्ति प्रतिवादीगण की अन्य अचल संपत्ति व भूमि पर रहन का आदेश दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वादी का उक्त वर्णित खरीद शुदा आराजीयात का मालिक, काबिज, स्वामी है। इस कारण वादी को उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 58 रकबा 0.4679 हैक्ट वाके ग्राम इब्राहीमाबाद का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के स्थान पर वादी के नाम का अंकन कराया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम अंकित है। जिसमें से जगदीश पुत्र कालू की मृत्यु हो चुकी है ओर मांगी व रामा का हक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 में निहित हो चुका है। इस कारण उक्त विक्रय के पश्चात किये गये दस्तावेज वादी के हितो के विपरित है एवं शून्य है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पारित फरमायी जाकर वादपत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात ख0न0 58 रकबा 0.4679 हैक्ट वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम का अंकन करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सदैव के लिए पाबन्द

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

फरमाया जावे की वे स्वयं, जरिये एजेन्ट नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात में मजामहत व मदाखलत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे तथा वादी के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि के उपयोग–उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 06, 07 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड एडी. जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 06, 07 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादी ने अपने वादी के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं वादी विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन ने अपने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 58 रकबा 0.4679 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है। जिस पर मै काबिज होकर काश्त करता रहा हूं। उक्त वर्णित आराजीयात को मुझ शपथकर्त्ता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.02.2008 को तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ता 03 के पिता जगदीश पुत्र कालू, मांगी, रामा पुत्रीयां कालू से भूमि खरीद की है। तब से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। उक्त आराजीयात का नामान्तकरण मुझ वादी के नाम नही हुआ है तथा जमाबंदी पूर्व विक्रेता के वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। न्यायालय में उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है, जो डिक्री किये जाने योग्य है। तत्कालीन खातेदार द्वारा उक्त वर्णित भूमि को मुझ शपथकर्त्ता/वादी को विक्रय कर दिया था। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व मुझ शपथकर्त्ता के हक में निहित हो चुके थे। किन्तु मुझ शपथकर्त्ता के हक में हुए विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात भी अपने हक में नामान्तकरण दर्ज करवा लिया व उक्त भूमि बैंक के रहन रख दिया। जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही था। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि का रहन प्रतिवादी की अन्य भूमि पर दर्ज करते हुए शपथकर्त्ता वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में वाद पेश किया है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 शंकरलाल जाट पुत्र हजारी लाल जाट निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 58 रकबा 0.4679 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है, जो वादी की खरीदशुद्धा भूमि है, जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 के पिता जगदीश पुत्र कालू व मांगी, रामा पुत्रीयां कालू के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 17 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी, तब से वादी का उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मै उक्त भूमि को मैने दो वर्ष पूर्व अन्य भूमियों के साथ आधोली पर काश्त की थी।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

मुझे वादी द्वारा ही आधोली पर काश्त करने हेतु दी गई थी। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर खरीद के पश्चात कभी कब्जा काश्त नही रहा है।

साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 03 नन्दराम पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद ने शपथ पत्र में कथन किया की ख0न0 ख0न0 58 रकबा 0.4679 हैक्ट. वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में स्थित है, जो वादी की खरीदशुद्धा भूमि है, जो पूर्व में प्रतिवादी संख्यां 01 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 के पिता जगदीश पुत्र कालू व मांगी, रामा पुत्रीयां कालू के नाम अंकित थी। जिसको वादी ने लगभग 17 वर्ष पूर्व खरीद कर ली थी, तब से वादी का उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मै उक्त भूमि को मैने दो वर्ष पूर्व अन्य भूमियों के साथ आधोली पर काश्त की थी। मुझे वादी द्वारा ही आधोली पर काश्त करने हेतु दी गई थी। प्रतिवादीगण का उपरोक्त भूमि पर खरीद के पश्चात कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है तथा वर्तमान में वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मैं उक्त भूमियो का पडोसी हूं।

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 01—17 बीघा (0.4679 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जो पूर्व में जगदीश, छोटूलाल पि. कालू व मांगी पुत्री कालू, रामा पत्नि कालू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिनमें से विक्रेता जगदीश व रामा की मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 है। विक्रेता मांगी का हकत्याग छोटू पुत्र कालू व किशनलाल, नन्दलाल पि. जगदीश ने अपने हक में हकत्याग करवा लिया है। जिसका नामान्तकरण 725 व 735 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर दिया गया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश के वारिसान व विक्रेता छोटूलाल के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2008 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, तब से उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने असल विक्रय पत्र नामान्तकरण दर्ज करवांने हेतु हल्का पटवारी को दे दिया था, लेकिन वादी बाहर रहने के कारण समय पर अपने हक में हुए विक्रय पत्र का नामान्तकरण नही खुलवा सका। कुछ समय पश्चात विक्रेता जगदीश पुत्र कालू व रामा पत्नि कालू जाति गुर्जर की मृत्यु हो गई। जिसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 589 दिनांक 20.04.2018 को विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। उसके पश्चात मांगी द्वारा हकत्याग करने पर नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 17.01.2023 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हई। जबकि नियमानुसार भूमि का बेचान होते ही विक्रेता के समस्त हक अधिकार क्रेता में समाहित हो जाते है। इस कारण नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम गलतत किया गया है। नामान्तकरण गलत एवं विधि विरूद्ध है। इस कारण पश्चातवृति जो भी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेज हुए है, वे वादी के हितो के प्रतिकूल है। वादी ने वर्तमान समय में ऑनलाईन जमाबंदी होने पर अपनी भूमि की जमाबंदी देखी तो ज्ञात हुआ की उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नही होकर प्रतिवादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तब वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो उन्होने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया। तब वादी ने माननीय न्यायालय में विक्रय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवने हेतु वाद प्रस्तुत किया। जिसको माननीय न्यायालय ने दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। वादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में स्वयं वादी, नन्दराम गुर्जर पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी इब्राहीमाबाद व शंकरलाल जाट पुत्र हजारी जाट निवासी इब्राहीमाबाद बयान दर्ज करवाये गये। स्वतन्त्र गवाह्नो ने अपने बयानो में कथन किया की हम वादी व प्रतिवादीगण व उपरोक्त भूमि को जानते पहचानते है। उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है और वादी ही काश्त करता चला आ रहा है। हमने भी उक्त भूमि को आधोली पर काश्त की है, जो वादी के कहने पर ही की है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर वादी ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त वाद के साथ विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत किया, जो रजिस्टर्ड विक्रय है। जिसको किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। उक्त दस्तोवज रजिस्टर्ड है, जो सन्देह से परे है। जब तक वादी के हक में हुआ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अस्तित्व में है, तो वादी के हक में अधिकारो को नकार नही सकते है, क्योकि जब विक्रेता रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपने नाम भूमि का हस्तान्तरण कर देता है, तो उसके सारे हक अधिकार तुरन्त क्रेता में समाहित हो जाते है। प्रथम विक्रय पत्र हो जाने के बाद पश्चातवर्ती विक्रय पत्र या दस्तावेज शून्य होते है। जिनके पश्चातवर्ती क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस कारण वादी के हक में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के पश्चात कोई भी दस्तावेज हुए है, तो वह वादी के हितो के तक शून्य है। वादी ने अपना वाद पत्र बखूबी दस्तावेजो व मौखिक बयानो से सिद्ध किया है तथा प्रतिवादी को नोटिस जारी करने के उपरान्त भी तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए है तथा अपनी तरफ से प्रतिवादी भी प्रस्तुत नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण मे पूर्णतया चस्पा होती है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व मौखिक बयानो से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर खरीद के पश्चात वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। क्रेता का केवल नामान्तरण नही खुलने से उसको अपने हक अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता। क्योकि नामान्तकरण एक सरसरी कार्यवाही है। जिससे किसी के हक व अधिकार तय नही होते है। ऐसी स्थिती में वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है की वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करे। वादी ने अपनी लिखित बहस के समर्थन में कानूनी नजीरे RRT 2016-17 Page 459, RRT 2011 (1) Page 159, RRT 2012 (1) Page 374, RRT 2011-12 (Sup) Page 498, RRT 2009-10 (Sup) Page 411 पेश की।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्रो का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता वादी की लिखित बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रयपत्र पत्र क्रमांक 2008000198 उप पंजीयक पीपलू दिनांक 12.02.2008 द्वारा एक पंजीबद्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 लगायत 03 के पिता, बुआ व दादी द्वारा बिलएवज मुबलिग 61,500 रूपये अक्षरे इकसठ हजार पांच रूपये मात्र में विक्रय कर दिया है यानि बेचान कर दिया है और विक्रित भूमि की एवज में समस्त राशि क्रेतागण से नगद बाला बाला रूबरू गवाहन मौके पर प्राप्त कर ली है। अब क्रेतागण से भी कुछ भी लेना शेष नही रहा है। क्रेतागण से राशि नकद प्राप्तकर मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से मौके पर जाकर चारो और की सीमाये बताकर कब्जा क्रेतागण को संभला दिया है। आज से क्रेतागण उक्त विक्रित भूमि की संयुक्त रूप से मालिक, स्वामी हो चुका है। विक्रय पत्र में पूर्व प्रतिफल राशि दिये जाने का अंकन है। वादी/क्रेता एक सद्भावी क्रेता है। विक्रयपत्र उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 11.02.2008 रूबरू गवाहन विधिवत् पंजीबद्ध किया गया हैं। उक्त विक्रय पत्र किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया है। इस कारण वादी विवादित आराजीयात ख0न0 58 रकबा 01–17 बीघा (0.4679 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा के खातेदारी पाने के हकदार है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 01–17 बीघा (0.4679 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात को रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

विमल मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता जाति महाजन निवासी डी–568, मालवीय नगर, जयपुर (राज0)

वादी

बनाम

छोटूलाल पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहीमाबाद तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 32) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 32/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0, श्री हेमराज गुर्जर एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 06, 07 अनुपस्थित मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर व डिक्री दी जाती है की भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 01–17 बीघा (0.4679 हैक्ट.) वाके ग्राम इब्राहीमाबाद, पटवार हल्का बगडवा में वादी को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू उक्त विवादित आराजीयात को रहन मुक्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का नाम विलोपित कर मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम का अंकन करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादी की उक्त वर्णित खरीदशुदा आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। मजामहत व मदाखलत नहीं करे।

निजी..............................मबलिक.. बाबत.............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..को अदा करे।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक))

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.........

उप खण्ड अधिकारी

मोहर

ओहदा पीपलू (टोंक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner